राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/ e-mail: innovation.cceraj@gmail.com
Phone: 0141-2706847 (O);

पत्रांकः CCE/ P&C/ ISDC/ 2019/ 831 Date: 7th June 2019

दक्षता हेतु कौशल क्षमता विकास एवं राज्य सरकार द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी करवाने हेतु निर्देशित निःशुल्क कोचिंग कार्यक्रम में पूर्णतः निःशुल्क सहयोग/सेवा हेतु इच्छुक सेवा प्रदाताओं से Expression of Interest (EoI) के अन्तर्गत प्रस्ताव

राजकीय महाविद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता उन्नयन हेतु नवाचार यथा सूचना प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षण सामग्री तैयार करने में सहायता, teaching aids तैयार करवाना, teaching-learning आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन, महाविद्यालयों में प्रयोगशालाओं का विकास आदि में सहायता; विद्यार्थियों में रोजगारोन्मुख दक्षता हेतु कौशल क्षमता विकास के लिये रोजगारोन्मुख कौशल प्रशिक्षणों का आयोजन; नियोक्ता के साथ जोड़कर विद्यार्थियों को रोजगार उपलब्ध करवाने में सहायता; एवं राज्य सरकार द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी करवाने हेतु निर्देशित निःशुल्क कोचिंग कार्यक्रम में पूर्णतः निःशुल्क सहयोग/सेवा हेतु इच्छुक सेवा प्रदाताओं से Expression of Interest (EoI) के जरिये प्रस्ताव आमंत्रित किये जाने हैं।

सत्र 2019–20 से राजकीय महाविद्यालयों में उपरोक्त क्षेत्रों में उक्त प्रस्तावित नवाचारों को यथा सम्भव संबंधित क्षेत्र/कौशल में विशेषज्ञ/अनुभवी सेवा प्रदाताओं/एजेन्सियों/विभागों की सहायता से प्रारम्भ किया जाना है। अतः इस प्रयोजनार्थ यह विभाग **Expression of Interest (EoI)** के जरिये विभिन्न सेवा प्रदाताओं/एजेन्सियों/विभागों से प्रस्ताव आमंत्रित करता है। इच्छुक सेवा प्रदाता/एजेन्सी/विभाग अपने प्रस्ताव कभी भी प्रेषित कर सकते हैं परन्तु प्रथम चरण के लिये विस्तृत प्रस्ताव मय पूर्ण विवरण इस **EoI** प्रकाशन की तिथि सहित अधिकतम् 10 दिवस के अन्दर निम्न पते पर डाक अथवा व्यक्तिशः प्रेषित किये जा सकते हैं। इस तिथि उपरान्त प्राप्त प्रस्तावों को आगामी चरण में सम्मिलित किया जा सकेगा। इन नवाचारों की संख्या अथवा प्रकृति में मांग आधारित परिवर्तन किये जाने का अधिकार आयुक्तालय कालेज शिक्षा (आकाशि), जयपुर के पास सुरक्षित रहेगा। समस्त प्रस्ताव **आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर** को सम्बोधित करें।

हमारा पता :

प्रभारी अधिकारी
नवाचार एवं कौशल विकास कार्यक्रम
आयुक्तालय कालेज शिक्षा, राजस्थान,
ब्लॉक–4, शिक्षा संकुल,
जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर– 302015

1. **सूचना प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षण सामग्री तैयार करने में सहायता, teaching aids तैयार करवाना, teaching-learning आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन, महाविद्यालयों में प्रयोगशालाओं का विकास; विद्यार्थियों में रोजगारोन्मुख दक्षता हेतु कौशल क्षमता विकास के लिये रोजगारोन्मुख कौशल प्रशिक्षणों का आयोजन; नियोक्ता के साथ जोडकर विद्यार्थियों को रोजगार उपलब्ध करवाने में सहायता; एवं राज्य सरकार द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी करवाने हेतु निर्देशित निःशुल्क कोचिंग कार्यक्रम में पूर्णतः निःशुल्क सहयोग/सेवा सहित किसी भी प्रकार के नवाचार के लिये वर्तमान में राज्य सरकार अथवा विभाग के स्तर से किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता का प्रावधान नहीं है। अतः केवल CSR अन्तर्गत इच्छुक अथवा दानदाताओं से प्राप्त सहायता राशि के माध्यम से कार्योच्छुक सेवा प्रदाता/एजेन्सी/विभाग ही अपना आवेदन प्रस्तुत करें।**
2. किसी भी आवेदक सेवा प्रदाता/एजेन्सी का कार्यानुभव 03 वर्ष से कम नहीं होना चाहिये।
3. उद्यमिता एवं कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिये कृप्या ध्यान दें कि यदि आवेदक सेवा प्रदाता/एजेन्सी/विभाग National Skill Development Corporation (NSDC)/ PMKVY/ PMYY/ Sector council अथवा केन्द्र सरकार की ऐसी किसी अन्य संस्था के साथ कार्यानुभव है, तो उसे प्राथमिकता दी जावेगी।
4. उद्यमिता एवं कौशल् विकास सहित सभी अन्य निर्दिष्ट क्षेत्रों में इच्छुक आवेदक सेवा प्रदाता/एजेन्सी/विभाग उपरोक्त कम 02 के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिष्ठित संगठन/संस्थान/विश्वविद्यालय/IIT/फाउन्डेशन आदि के साथ कार्यानुभव रखता है तो ऐसे आवेदनों को भी प्राथमिकता दी जावेगी।
5. उद्यमिता एवं कौशल विकास से संबंधित चयनित सेवा प्रदाता/एजेन्सी/विभाग एक राजकीय महाविद्यालय में अधिकतम् 03 कौशल प्रशिक्षण/पाठ्यकम ही संचालित कर सकेगा।
6. आवेदक सेवा प्रदाता/एजेन्सी/विभाग द्वारा कौशल प्रशिक्षण/पाठ्यकम की समाप्ति पर सफल प्रशिक्षणार्थी को अधिकृत व मान्य प्रमाण पत्र प्रदान करना होगा ताकि आवश्यकता होने पर इसे सफलार्थी अपनी योग्यता के रुप में प्रस्तुत कर सके।
7. उपर्युक्त कौशल प्रशिक्षण/पाठ्यकम, निःशुल्क कोचिंग कार्य एवं अन्य निर्दिष्ट कार्य महाविद्यालय परिसर में ही संचालित किये जावेंगे। यदि किसी कारणवश किसी तकनीकि प्रशिक्षण अथवा डैमो आदि के लिये विद्यार्थियों को स्थानीय स्तर पर महाविद्यालय परिसर से बाहर ले जाना अवश्यक हो तो इसकी संबंधित प्राचार्य से पूर्वानुमति लेनी होगी।
8. आवेदक सेवा प्रदाता/एजेन्सी/विभाग द्वारा संचालित कौशल प्रशिक्षण/पाठ्यकम की विषयवस्तु NSDC/ NSQF अथवा किसी मानक संस्था/संगठन के मानदण्डानुसार प्रामाणिक होनी चाहिये।
9. चयनोपरान्त सेवा प्रदाता/एजेन्सी/विभाग के कौशल प्रशिक्षण/पाठ्यकम कियान्वयन की रुपरेखा, महाविद्यालयों का चयन, पाठ्यकम संचालन एवं कार्योत्तर मूल्यांकन की प्रकिया आदि की मॉनिटरिंग आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, जयपुर द्वारा की जावेगी।
10. चयनित सेवा प्रदाता/एजेन्सी/विभाग द्वारा चयनित महाविद्यालयों में कियान्वित कौशल प्रशिक्षण/पाठ्यकम हेतु कक्षा कक्ष एवं विद्यार्थियों के बैठने संबंधी आधारभूत सुविधाएं महाविद्यालय स्तर से उपलब्ध करवा दी जावेंगी।
11. सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कौशल प्रशिक्षण/पाठ्यकम संचालन हेतु यदि महाविद्यालय में कम्प्यूटर लैब उपलब्ध है तथा वह इस प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ संबंधित प्रदाता/एजेन्सी/विभाग को उपलब्ध करवाई जा सकती है, तो महाविद्यालय स्तर से यह सुविधा केवल निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण/पाठ्यकम संचालन हेतु उपलब्ध करवा

दी जावेगी। वित्तीय सहायता उपरान्त इस प्रकार की लैब सुविधा को संबंधित प्रदाता/एजेन्सी/विभाग द्वारा पृथकतः विकसित करने का प्रावधान करना होगा, ताकि नियमित कक्षाएं बाधित न हों।

12. निःशुल्क कोचिंग कक्षाओं कें आयोजन में सहायता/कक्षाओं के संचालन/ पाठ्य सामग्री तैयार करवाने में सहायता अथवा पाठ्य सामग्री तैयार कर निःशुल्क उपलब्ध करवाने के संबंध में इच्छुक सेवा प्रदाता/एजेन्सी/विभाग कृप्या ध्यान दें कि किसी भी निजी संस्था/ गैर सरकारी संगठन को इन कक्षाओं अथवा मुद्रित पाठ्य सामग्री के माध्यम से उनके व्यक्तिगत/संस्थागत प्रचार-प्रसार की अनुमति नहीं होगी। अतः कक्षाओं में प्रयुक्त बैकड्रॉप/फ्लैक्स/बैनर/बोर्ड अथवा अन्य किसी माध्यम से व्यक्तिगत/संस्थागत प्रचार-प्रसार के डिस्प्ले की अनुमति नहीं होगी। साथ ही, चयनित सेवा प्रदाता/एजेन्सी/विभाग द्वारा मुद्रित पाठ्य सामग्री के नमूनों का आयुक्तालय कालेज शिक्षा, जयुपर से पूर्व अनुमोदन करवाकर ही इसे विद्यार्थियों में निःशुल्क वितरित किया जा सकेगा। तथापि, इन कक्षाओं/पाठ्य सामग्री के माध्यम से राजकीय योजनाओं/विभाग के निःशुल्क प्रचार- प्रसार/विज्ञापनों की अनुमति रहेगी।

13. प्रथम चरण में केवल उन्हीं सेवा प्रदाताओं/एजेन्सियों/विभागों से प्रस्ताव आमंत्रित हैं, जो कि स्वयं की CSR अथवा किसी अन्य संस्था की CSR के अन्तर्गत अथवा दानदाताओं से वित्तीय सहायता प्राप्त कर इस प्रयोजनार्थ निःशुल्क परियोजना कार्य कर सकते हैं। इसके लिये सरकार/विभाग/कालेज/विद्यार्थी द्वारा किसी भी प्रकार की राशि देय नही होगी।

14. यदि आवेदक सेवा प्रदाता/एजेन्सी/विभाग किसी अन्य संस्था की CSR के अन्तर्गत अथवा दानदाताओं से वित्तीय सहायता प्राप्त कर इन निर्दिष्ट कार्यों में सहयोग/कार्य करना चाहते हैं तो ऐसे सेवा प्रदाताओं/एजेन्सियों/विभागों को किसी भी संस्था से वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु वित्तीय सहायता के प्रस्ताव पूर्व में ही आवेदन के साथ संलग्न कर प्रेषित करने होंगे। तभी किसी अन्य संस्था का नाम इस परियोजना में थर्ड पार्टी के रुप में सम्मिलित किया जा सकेगा। इस प्रकार के अनुमोदन उपरान्त ही यदि CSR के अन्तर्गत अथवा दानदाताओं से प्राप्त राशि से किये गये व्यय के प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी तो, ऐसा प्रमाणपत्र आयुक्तालय/विभाग की ओर से जारी किया जा सकेगा। **यदि CSR एजेन्सी अथवा दानदाताओं को आयुक्तालय/विभाग से किसी प्रकार के नाम का उल्लेख अथवा प्रमाणपत्र की आवश्यकता ना हो, तो आवेदक सेवा प्रदाता/एजेन्सी/विभाग अपने प्रस्ताव के साथ साथ केवल वित्तीय व्यय का विवरण प्रस्तुत कर आयुक्तालय/विभाग से अनुमोदन प्राप्त कर ही यथा अनुमति कार्य प्रारम्भ कर सकेगे।**

15. परियोजना प्रारम्भ होने के उपरान्त किसी भी अवस्था में यदि किसी अन्य संस्था की CSR से वित्तीय सहायता प्राप्त करनी हो तो, तब भी आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, जयपुर को प्रस्ताव प्रेषित कर इस प्रयोजनार्थ परियोजना का पूर्ण व्यय विवरण प्रेषित कर सक्षम स्तर से पूर्वानुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। तभी किसी अन्य संस्था का नाम इस परियोजना में थर्ड पार्टी के रुप में सम्मिलित किया जा सकेगा। इस प्रकार के अनुमोदन उपरान्त ही यदि CSR के अन्तर्गत किये गये व्यय के प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी तो, ऐसा प्रमाणपत्र आयुक्तालय/विभाग की ओर से जारी किया जा सकेगा।

16. कृपया यह अवश्य ध्यान दें कि सभी इच्छुक आवेदक सेवा प्रदाताओं/एजेन्सियों/विभागों का उनके प्रस्ताव पर आयुक्तालय कालेज शिक्षा की ओर से सहमति जारी होने के उपरान्त यथा निर्णीत 10-20 चयनित (आपसी सहमति अनुसार) राजकीय महाविद्यालयों में अपने प्रस्तावित कार्य/सहयोग को प्रायोगिक तौर पर निःशुल्क कियान्वित करना होगा। ऐसे आवेदकों के प्रस्तावों को वरीयता दी जावेगी। प्रायोगिक कियान्वयन उपरान्त इसका आयुक्तालय कालेज शिक्षा की ओर से मूल्यांकन करवाया जायेगा। सफल कियान्वयन की स्थिति में ऐसे प्रस्तावकों से द्वितीय चरण में और अधिक महाविद्यालयों में उनके कार्यो को आरम्भ करवाने की अनुमति प्रदान की जा सकेगी।

17. चयनित सेवा प्रदाता/एजेन्सी/विभाग द्वारा मूल्यांकन उपरान्त तैयार वित्तीय सहायता के प्रस्ताव आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, जयपुर के माध्यम से CSR के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्रदाता संस्था को प्रेषित किये जा सकेंगे।

18. आवेदक द्वारा किसी भी प्रस्तावों के साथ किसी भी प्रकार की कोई शुल्क राशि जमा नहीं करवानी है, तथापि किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार आयुक्तालय, कालेज शिक्षा के पास सुरक्षित रहेगा।

अधिक जानकारी के लिये डा. विनोद कुमार भारद्वाज, प्रभारी अधिकारी, नवाचार एवं कौशल विकास प्रकोष्ठ आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, जयपुर में किसी भी कार्य दिवस को सम्पर्क कर सकते हैं।

7/6/2019

प्रदीप कुमार बोरड़ IAS
आयुक्त कॉलेज शिक्षा एवं
विशिष्ट शासन सचिव, उच्च शिक्षा राजस्थान

वैब प्रभारी को आयुक्तालय की वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

डा. विनोद कुमार भारद्वाज
प्रभारी अधिकारी,
नवाचार प्रकोष्ठ, आकाशि,